साँची चिकित्सा बीमा योजना

चर्चा में क्यों?

12 नवंबर, 2021 को मध्य प्रदेश को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध समितियों के सदस्यों और उनके परिवार के लिये साँची चिकित्सा सहायता बीमा योजना स्वीकृत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों और उनके आश्रित परिजनों को सामान्य बीमारी के उपचार हेतु एक लाख रुपए और गंभीर बीमारियों के लिये 2 लाख रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष बीमा राशि का प्रावधान है।
- बीमा राशि का भुगतान न्यू इंडिया इंश्योरेंश कंपनी द्वारा किया जाएगा। योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों एवं उन पर आश्रित 3 परिजनों को लाभान्वित किया जाएगा। परिजनों में पति या पत्नी और 3 माह से 25 वर्ष तक की आयु के 2 बच्चे शामिल हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sanchi-medical-insurance-scheme